संख्या-75/2015-357/नौ-5-2015-16बजट/2015

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत,
बरसाना (मथुरा)।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 18 मार्च, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, मथुरा के पत्र संख्या-1781/इक्कीस-बी/टी0ए0सी0/2014-15 दिनांक 16.01.2015 के क्रम में उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-240/नौ-5-2014-21बजट/2014 दिनांक 26 फरवरी, 2014 द्वारा नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में नगर पंचायत, बरसाना(मथुरा) को कुल ₹ 21.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जाने वाली धनराशि ₹ 10.50 (₹ दस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए यह निर्देश दिये गये थे कि उक्त धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2014 तक आहरण् कर उपभोग कर ली जाय, परन्तु वार्षिक लेखाबन्दी हो जाने के फलस्वरूप उक्त शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा सका और धनराशि लैप्स/व्यपगत हो गयी।

2. उपर्युक्त प्रकरण में वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा द्वारा उपलब्ध कराये गये नान पेमेन्ट सर्टिफिकेट के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सडक निर्माण के एक कार्य के सापेक्ष ₹ 21.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जाने वाली धनराशि ₹ 10.50 (₹ दस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	नागर निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	मथुरा	नगर पंचायत, बरसाना	थाने के पुराने गेट से चिकसौली तिराहे तक सी.सी. इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	21.00	
			योग	21.00	10.50

(₹ दस लाख पचास हजार मात्र)

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए/ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

2. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
3. योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07.06.2013 तथा शासनादेश संख्या-3747/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 10.09.2013 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
5. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
7. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत **'डिस्प्ले बोर्ड'** पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक 31-03-2015 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।
11. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।
12. स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत **लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-80-सामान्य-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के नामे डाला जायेगा तथा लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-80-सामान्य-191-नगर निगमों को सहायता-04-उ.प्र. व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु' में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।**

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश आर.ई.संख्या-378-ई-8-645/दस-2015 दिनांक 16 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-बी0एम0-9 प्रपत्र

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-75/2015-357(1)/नौ-5-2015-16बजट/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, आगरा।
3. जिलाधिकारी, मथुरा।
4. कोषाधिकारी, मथुरा।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय,उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ.प्र.इलाहाबाद।
7. अध्यक्ष, नगर पंचायत, बरसाना जनपद मथुरा।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015

आवंटन दिनांक-18/03/2015

प्रेषण संख्या:- 75-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-75-2015-357-9-5-2015-16Budget-2015

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)
80 - सामान्य
193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
01 - नगरीय सड़क सुधार योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	मथुरा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1050000 17902000	1050000 17902000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1050000 17902000	1050000 17902000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दस लाख पचास हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ उन्नासी लाख दो हजार

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व छपे अनुदेशों को भली-भांति देख लिया जाय)

संख्या व नाम- अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग (निर्माण कार्य) पूँजी लेखा वित्तीय वर्ष 2014-15

(धनराशि हजार रू. में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवदेन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
'2217-शहरी विकास-80-सामान्य-191-नगर निगमों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान'	650000	152247	55000	55000	595000
योग	650000	152247	55000	55000	595000
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
'2217-शहरी विकास-80-सामान्य-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान'	700000	750056	55000	55000	755000
योग	700000	750056	55000	55000	755000

स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है-:

(1) नगर निगम हेड में सड़कों के कार्यो के परिपक्व प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण बचत हो रही है।

(2) स्तम्भ 8-में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ 9-में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है -:

नगर पंचायतों के हेड में सड़कों के कार्य हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण परिपक्व प्रस्ताव के सापेक्ष अधिक धनराशि की आवश्यकता है।

(3)प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0ई0संख्या-378-ई-8-645/दस-2015,दिनांक 16 मार्च, 2015

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,

उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(उमा शंकर सिंह)

संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग।

(सुभाष चन्द्र)

अनु सचिव, वित्त विभाग।

संख्या-1547(1)/नौ-5-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
6. संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

(उमा शंकर सिंह)

संयुक्त सचिव,

नगर विकास विभाग।